

उत्तर प्रदेश शासन

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1

संख्या- 21 /2018/ 1774 / सत्ताईस-1-2018-7(1)17 टी0सी0-1

लखनऊ: दिनांक: 19 अप्रैल, 2018

डाकरी नं.: 2090  
दिनांक: 23/4/18

कार्यालय-आदेश

जनहित/कार्यहित में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सिविल संवर्ग के श्री प्रभु दत्त शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता/प्रोफेसर, वाल्मी, ओखला को तात्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान पद के साथ मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक वाल्मी, लखनऊ के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार अग्रिम आदेश तक एतदद्वारा प्रदान किया जाता है।

2- उक्त अतिरिक्त कार्यभार हेतु श्री शर्मा को पृथक से कोई वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

टी0 वेंकटेश

प्रमुख सचिव।

संख्या- 4 /2018/ 1774 (1)/सत्ताईस-1-2018-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता, परिकल्प एवं नियोजन/प्रमुख अभियन्ता, परियोजना, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता, कार्मिक(अधिष्ठान 1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा मुख्य अभियन्ता, कार्मिक(अधिष्ठान 1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा मुख्य अभियन्ता, कार्मिक (अधिष्ठान 1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
7. समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

Handwritten signature and date: 19/4/18

आजा से,

(जो0पी0 सिंह)

अनु सचिव।